[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2013

का.आ.2264(अ).- केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश संख्यांक का.आ. 821(अ) तारीख 9 अप्रैल, 2010 द्वारा गोवा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की पदावधि समाप्त हो गई है;

और केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण है कि ऐसे प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	सचिव, (पर्यावरण) गोवा सरकार	अध्यक्ष
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग	सदस्य
3.	निदेशक, पंचायत निदेशालय, गोवा सरकार	सदस्य
4.	निदेशक, पर्यटन निदेशालय, गोवा सरकार	सदस्य
5.	निदेशक, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार निदेशालय, गोवा सरकार	सदस्य
6.	मुख्य इंजीनियर, जल संसाधन विभाग, गोवा सरकार	सदस्य
7.	मुख्य इंजीनियर, (भवन) , लोक निर्माण विभाग, गोवा सरकार	सदस्य
8	डा0 एंटोनियो अर्सेनियो मासकारेन्हा, ज्ये-ठ प्रधान वैज्ञानिक, एनआईओ, डोना पौला	सदस्य
9.	श्री रघुनाथ धूमे, शक्ति- एच नं. 23/90, चिडविलास कॉलोनी, तेलीगांव कारनजालेम-गोवा	सदस्य
10.	डा. सविता केरकेर, उपाचार्य, सामुद्रिक जैवप्रविधि विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, तेलीगांव प्लेट्यू, तेलीगांव	सदस्य
11.	डा0 नितिन सावंत, सदस्य सचिव, गोवा राज्य, जैव विविधता बोर्ड (जीएसबीबी) सेलीगांव	सदस्य

12. निदेशक/पदेन, संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग — सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण को गोवा राज्य के क्षेत्रों में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा पर्यावरणीय प्रदू-ण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(i) गोवा राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरण के लिए प्रस्तावों का परीक्षण करना और तटीय विनियमन जोन के दृ-टिकोण से विनिर्दि-ट सिफारिशें करना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित है जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना, 2011 कहा गया है ;

(ii) (क) उक्त अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के उपबंध, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के अभिकथित उल्लंघन के मामलों में जांच करना और यदि किसी विनिर्दि-ट मामले में यह आवश्यक पाया जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेश रा-ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दि-ट उस मामले में जारी किसी निदेश से असंगत नहीं है ;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम या किसी अन्य विधि के उपबंध का, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित है, उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो ऐसे मामलों को रा-ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को टीका-टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन के लिए भेजना :

परंतु प्राधिकरण, इस उप पैरा के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन मामलों को स्वतः प्रेरणा से या किसी व्यि-ट या किसी निकाय या किसी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर ले सकेगा;

(iii) उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) के अधीन इसके द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना;

(iv) उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) से उद्भूत मामलों से संबद्ध तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करेगा जो उसको यथास्थिति, गोवा राज्य सरकार, रा-ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दि-ट किए जाएं ।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दि-ट क्षेत्र प्रबंध योजना बनाएगा

5. प्राधिकरण, संरक्षण परियोजनाओं या तटीय जनसंख्या संरक्षा आदि के विकास से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वय करेगा ।

6. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए सहजभेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दि-ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा ।

7. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करेगा और उनके लिए समेकित तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा ।

8. प्राधिकरण, ऊपर पैरा 4, 6 और 7 के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपांतरणों को रा-ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उनकी परीक्षा और इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।

9. प्राधिकरण, ऐसी सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो गोवा की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना और अधिसूचना, 2011 में अधिकथित हैं ।

10. प्राधिकरण, रा-ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय को छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

11. प्राधिकरण के बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई होगी और यदि गणपूर्ति उपलब्ध नहीं है तो बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित हो जाएगी और उसे पुनः आहूत किया जाएगा ।

12. प्राधिकरण, राज्य सरकार, वित्तपो-ण अधिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियों/फीसों को जमा करने के लिए किसी रा-ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता रखेगा ।

13. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण के पास इस आदेश और उक्त अधिनियम में यथा विनिर्दि-ट इसके प्रभावी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन, मानव शक्ति, निधियां उपलब्ध हैं ।

14. प्राधिकरण, सभी आवश्यक उपाय और पहल, जिसमें कार्यक्रम का नि-पादन, अनुसंधान, सूचना प्रसार, प्रशिक्षण, जागरुकता, दिन-प्रतिदिन के कृत्य और समर्थन आदि सम्मिलित हैं, करेगा और उपयुक्त प्रक्रियाओं और साधनों को, जिसमें उसके लिए संसाधन वित्तपो-ण आदि जुटाना भी सम्मिलित है, अंगीकृत करेगा ।

15. प्राधिकरण, अधिसूचना, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य में तटीय क्षेत्रों के तटीय विनियमन जोन मानचित्र तैयार करेगा और इसे रा-ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा ।

16. प्राधिकरण, जिला तटीय जोन मानीटरी समितियों के कृत्यों का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेगा ।

17. प्राधिकरण, अधिसूचना, 2011 के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध योजना प्राधिकारियों, क्षेत्र अभिकरणों, जिला कलेक्टरों को निदेश देगा और उल्लंघन या अननुपालन के मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेगा ।

18. वेतन और भत्ते जैसे- यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, आसन फीस, क्षेत्र दौरा फीस आदि केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित किए गए संनियमों के अनुसार होंगे ।

19. प्राधिकरण, जब कभी आवश्यकता हो, अपनी बैठक के दौरान सदस्य के रूप में अन्य विशे-ाज्ञ आमंत्रित करेगा ।

20. प्राधिकरण के क्षेत्र और अधिकारिता के भीतर विनिर्दि-ट रूप से नहीं आने वाले किसी मामले को संबद्ध कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

21. प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग से परामर्श करके संवीक्षा फीस का वैसे ही उद्ग्रहण कर सकेगा जो एक प्रदू-ाक सिद्धांततः संदाय करता है ।

22. प्राधिकरण, अधिसूचना, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी स्प-टीकरणों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तटीय विनियमन जोन अनापत्ति के लिए उसे प्राप्त हुए, उसको निर्दि-ट हुए या उसके समक्ष रखे गए सभी मामलों, प्रस्तावों को प्रक्रियागत करेगा ।

23. अधिसूचना, 2011 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करने की शक्तियां प्राधिकरण और प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाती हैं और अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशो की दशा में ऐसे निदेश को जारी किए जाने के लिए कारणों को विनिर्दि-ट करने वाली रिपोर्ट और उसकी प्रास्थिति सहित प्राधिकरण के समक्ष इसकी आगामी बैठक में रखी जाएगी ।

24. प्राधिकरण, तटीय जोन प्रबंध योजना के कार्यकरण में पारदर्शिता रखेगा और एक समर्पित वेबसाइट सृजित करने और कार्यसूची, कार्यवृत्त, किए गए विनिश्चय, समाशोधन पत्र, उल्लंघन, उल्लंघनों और न्यायालयी मामलों, जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं, पर की गई कार्रवाई के साथ ही राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजनाओं को वेबसाइट पर डालने के लिए कदम उठाएगा ।

25. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

26. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय गोवा में स्थित होगा ।

[फा.सं. 12-6/2005-आईए-III]

(मनिन्दर सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)}

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the July 22, 2013

S.O. 2264(E).— Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O 821(E), dated the 9th April, 2010, the Central Government reconstituted the Goa State Coastal Zone Management Authority for a period of three years and the term of the said Authority has expired;

And whereas, the Central Government is of the view that such an Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby reconstitutes the Goa State Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

1.	Secretary (Environment), Government of Goa	Chairman;
2.	Principal Chief Conservator of Forests, Forest Department	Member;
3.	Director, Directorate of Panchayats, Government of Goa	Member;
4.	Director, Directorate of Tourism, Government of Goa	Member;
5.	Director, Directorate of Industries, Trade and Commerce, Government of Goa	Member;

6.	Chief Engineer, Water Resource Department, Government of Goa	Member;
7.	Chief Engineer (Building), Public Works Department, Government of Goa	Member;
8.	Dr. Antonio Arsenio Mascarenha, Sr.Principal Scientist, NIO, Dona Paula	Member;
9.	Shri Ragunath Dhume, Shakti, H.No.23/90, Chidvilas Colony, Taleigao Caranzalem- Goa.	
10.	Dr. Savita Kerkar, Reader, Department of Marine Biotechnology, Goa University, Teleigoa Plateau, Teleigao	Member;
11.	Dr. Nitin Sawant, Member Secretary, Goa State Biodiversity Board (GSBB) Saligao.	Member;
12.	Director/Ex-officio, Joint Secretary, Department of Science, technology and Environment	Member-Secretary.

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the State of Goa, namely:-

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the State Government of Goa and making specific recommendations from Coastal Regulation Zone point of view which are laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) hereinafter referred to as the Notification, 2011;

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, in so

far as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the Authority may take up the cases under clauses (a) and (b) of this sub-paragraph, *suo motu* or on the basis of any complaint made by an individual or a representative body or an organisation;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii);

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii).

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone, which may be referred to it by the State Government of Goa, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population and then protection, etc.

6. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas .

7. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 6 and 7 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.

9. The Authority shall ensure compliance of all conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Goa and the notification, 2011.

10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment and Forests.

11. The quorum of the meeting of the Authority shall be two third of the total number of the members and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for thirty minutes and shall be reconvened.

12. The Authority shall maintain its Bank account in a Nationalized Bank to deposit the funds or fees received from the State Government, funding agencies or project authorities, etc.

13. The State Government shall ensure that sufficient resources, manpower and funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as specified in this order and the said Act.

14. The Authority shall take all necessary measures and initiatives including programme execution, research, information dissemination, training, awareness, day to day functioning, and advocacy etc. and adopt suitable procedures and means including raising resources, funding, etc., for the same.

15. The Authority shall prepare and submit Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the State as per the procedure laid down in the notification , 2011 to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment and Forests.

16. The Authority shall regularly review the functioning of the District Coastal Zone Monitoring Committees.

17. The Authority shall direct all concerned planning authorities, field agencies and district collectors to ensure the compliance of provisions of the notification, 2011 and take suitable action in case of violations or non-compliance.

18. The pay and allowances such as Traveling Allowance, Dearness Allowance, sitting fees, field visit fees etc. shall be as per the norms decided by the Central Government from time to time.

19. The Authority, whenever required shall invite other experts as members during its meeting.

20. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

21. The Authority may levy scrutiny fees as a polluter pays principle in consultation with the Environment Department.

22. The Authority shall process all the matters, proposals received, referred to or placed before it for Coastal Regulation Zone Clearance as per the procedure

laid down in the notification, 2011 and clarifications and guidelines issued by Ministry of Environment and Forests.

23. The powers of issuing directions under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with the notification, 2011 are delegated to the Authority and the Chairman of the Authority and in case the directions are issued by the Chairman, such directions shall be placed before the Authority in its next meeting along with a report specifying the reasons for issuing of the directions and status thereof.

24. The Authority shall maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Plans and shall take steps to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Courts as also the approved Coastal Zone Management Plans of the State Government.

25. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

26. The Authority shall have its headquarters at Goa.

[F. No. 12-6/2005 -IA-III]

Maninder Singh
Joint Secretary to the Government of India